20/3/20 पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आर.सी. एम. एस. पोर्टल पर वर्ष 2011 के लम्बित चली आ रही है। वाद प्रकरण संख्या 23/2010 भगवान गीता बनाम शंकर लाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 20/12/2010 की पालना में इजराय हुक्मनामा आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार डूंगला को प्रेषित की गई। तहसीलदार डूंगला द्वारा दिनांक 11.2.2011 के पत्र द्वारा इजराय हुक्मनामा आदेश के सम्बन्ध में अवगत कराया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ से स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने से पालना स्थगित हो जाने से पालना नहीं करवाई जाने का उल्लेख किया गया है पत्र की प्रति संलग्न पत्रावली है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2010 निर्णय दिनांक 20/12/2010 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 30.3.2011 को पारित आदेश दिनांक 30/3/2011 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित होकर पुनः इस न्यायालय हाजा को प्राप्त होकर न्यायालय में विचाराधीन होकर पत्रावली बहस की स्टेज पर है। पूर्व में जारी इजराय आदेश पर कोई कार्यवाही की जाना न्यायोचित नहीं है प्रकरण बेवजह समय में लम्बित चला आ रहा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.02.04 14:57:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब... अहल... हुक्म... में
इजराय प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही की जाना शेष नहीं रही है। अत: पत्रावली को इसी स्तर पर ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूँगला	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.02.04 14:57:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner